संख्या: 30/2017/1167/35-1-2017/7-281/ज.नि.प्र./2016(टी.सी.)

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
चतुर्थ तल, योजना भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: **20** नवम्बर, 2017

विषय: आधार नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा बायोमैट्रिक नामांकन किट्स क्रय किये जाने हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 के आई0सी0टी0 फण्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में आधार परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नियोजन विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में कार्य किया जा रहा है। आधार नामांकन में गति प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बायोमैट्रिक नामांकन किट्स क्रय किये जाने हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 के आई0सी0टी0 फण्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आधार नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा बायोमैट्रिक नामांकन किट्स क्रय किये जाने हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 के आई0सी0टी0 फण्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत बचत खाता वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- ए-1-122/दस- 2012-10(33)/2010, दिनांक 21-03-2012, शासनादेश संख्या-10/2015-ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 29-05-2015, शासनादेश संख्या-14/2015-ए-1-879/दस-2015-10(33)/2010, दिनांक 23-09-2015 एवं शासनादेश संख्या-03/2016-ए-1-170/दस-2016-10(33)/2010, दिनांक 23-02-2016 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन होगा।
2. प्रश्नगत खाता बचत खाता होगा जिसे निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के पदनाम से खोला जायेगा।

3. बैंक खाते का संचालन निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश तथा विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
4. बैंक खाते को योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजना समाप्त होने पर खाते को नियमानुसार बन्द कर दिया जायेगा।
5. खाते के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित पालन किया जायेगा।
6. उक्त खाते का उपयोग आधार नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा बायोमैट्रिक नामांकन किट्स क्रय किये जाने हेतु यू0आई0डी0ए0आई0 के आई0सी0टी0 फण्ड के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-एफ.ए-1-392/दस-2017, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 में प्राप्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 30/2017/1167(1)/35-1-2017/7-281/ज0नि0प्र0/2016(टी0सी0), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वतीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तीसरी मंजिल, टावर-II, जीवन भारती भवन, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. महानिदेशक, राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।
7. उप महानिदेशक, यू0आई0ए0डी0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in